

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(पंचायती राज विभाग)**

क्रमांक:एफ 28( )पंचावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/1533 जयपुर,दिनांक: 4.4.18

**:: आ दे श ::**

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री नारायण सिंह राठौड	पं.स. सरवाड़ (अजमेर)	30.04.2018
2	श्री कन्हैया लाल गर्ग	पं.स. बनेड़ा (भीलवाडा)	30.06.2018
3	श्री मदन लाल	पं.स. बुहाना (झुंझुनू)	30.06.2018
4	श्री रणधीर सिंह	पं.स. चिड़ावा (झुंझुनू)	30.06.2018
5	श्री रामजीलाल	पं.स. अलसीसर (झुंझुनू)	31.08.2018
6	श्री पुंजी लाल मीणा	पं.स. घाटोल (बांसवाड़ा)	30.06.2018
7	श्री नानूलाल	पं.स. गढ़ी (बांसवाड़ा)	31.08.2018
8	श्री हरस्वरूप चौधरी	पं.स. घाटोल (बांसवाड़ा)	31.12.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

*Yon*  
(पूज्य प्रसाद सागर)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, भीलवाडा, झुंझुनू, बांसवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित
4. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

*Yon*  
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त